हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह शिमला–171002 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत आडिट पैरों पर की गई कार्रवाई के सत्यापनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1 पैरा–6 निर्णीत (सचिवालय जलपान गृह द्वारा दिये सटिप्पण उत्तर के दृष्टिगत पैरा निर्णीत)

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013

1 पैरा–11 निर्णीत (सचिवालय जलपान गृह द्वारा दिये सटिप्पण उत्तर के दृष्टिगत पैरा निर्णीत)

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/14

1 पैरा–3 निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क की ₹18000/– बैंकर चैक संख्या 39732 दिनाँक 24.1.15 द्वारा जमा कर दी थी)

2 पैरा–4 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

3 पैरा–5 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

4 पैरा–6 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

5 पैरा–7 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

6 पैरा–8 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

7 पैरा–9 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

8 पैरा–10 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

9 पैरा–11 निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

10 पैरा–12 निर्णीत (सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों को संशोधित करने की जाँच के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)

11 पैरा–13 निर्णीत (₹297/– की वसूली श्री रूप सिंह के वेतन माह 1/15 देय 2/15 किए जाने की पुष्टि के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)

12 पैरा–14 अनिर्णीत

13 पैरा–15 अनिर्णीत

14 पैरा–16 अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.7.15 से 14.8.15 के दौरान हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के कार्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/2015 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए 8/2014 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹19000/–आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को रेखाँकिंत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा भेजने हेतु आग्रह किया गया, जिसे संस्था द्वारा बैंकर चैक संख्या 793216 दिनाँक 14.8.15, ₹18000 तथा चैक संख्या 793222 दिनाँक 9.9.2015 ₹1000/– द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया था।

4 वित्तीय स्थिति

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह द्वारा प्रस्तुत जलपान गृह के वर्ष 2014–15 के लेखों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क, ख–1" तथा "ख–II"** पर संलग्न है।

5 सहायता अनुदान

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों इत्यादि की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान की राशि दी जाती है। **परिशिष्ट "ग–1" तथा परिशिष्ट "ग–2"** में संलग्न विवरणिका के अनुसार वर्ष

2014–15 में हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹11091000/– का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें सचिवालय जलपान द्वारा वर्ष 2013–14 में वेतन भत्तों इत्यादि पर सहायता अनुदान से अधिक व्यय की गई ₹259918.90 की भरपाई भी सम्मिलित थी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से वास्तव में कुल (₹11091000–₹259918.90=₹10831081.10) बकाया अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, जिसके विपरीत **परिशिष्ट "ग–2"** के अनुसार वर्ष 2014–15 में कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि पर कुल ₹11844144 का व्यय किया गया। अतः वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्त अनुदान से (₹11844144–₹10831081.10= ₹1013062.90) अधिक व्यय की गई, जिसकी भरपाई नियमानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 जलपान गृह द्वारा ₹25768/–की सम्पति की खरीद के बारे में

परिशिष्ट "घ" में दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2014–15 में ₹25768/–की सम्पत्ति की खरीद की गई दर्शाई गई है। यह राशि गत वर्षों के तुलन पत्र में दर्शाए गए अधिक्य से व्यय की गई थी।

7 लेनदारी के रूप में ₹1429531.75 का शेष पाया जाना

सचिवालय जलपान गृह द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों इत्यादि से दिनाँक 31.3.2015 तक ₹1429531.75 की वसूली करनी शेष थी, जिस का विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर दिया गया है। इस राशि में से ₹62391/–अन्य लेनदारों से भी प्राप्ति योग्य शेष दर्शाई गई है, जिसका विस्तृत विवरण उक्त परिशिष्ट में नहीं दिया गया है। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अन्य लेनदारों में से कुछ से बकाया/वसूली योग्य शेष राशि का पूर्ण ब्यौरा देने बारे परामर्श दिया गया था, परन्तु जलपान गृह के खातों में अन्य लेनदारों का स्पष्ट विवरण अभी भी नहीं दिया गया, जिसके अभाव में यह जाँच की जा सकी कि अन्य लेनदारों में कौन–2 से विभागों, बोर्ड, निगमों इत्यादि से वसूली की जानी बकाया में है। इन अन्य लेनदारों में कुछ ऐसे लेनदार भी है जिनसे पिछले कई वर्षों से राशियों की वसूली की जानी बकाया में है। उक्त के अतिरिक्त सचिवालय जलपान गृह द्वारा सभी लेनदारो ंसे वसूली के लिए गम्भीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप लेनदारों से बकाया राशि की वसूली में बढ़ौतरी हो रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि लेनदारों से राशि की वसूली हेतु समय–2 पर सम्बन्धित विभागों, निगमों, बोर्डों इत्यादि से पत्राचार पर करके बकाया राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 "Warm Clothing Advance" के रूप में ₹675/– वसूली हेतु शेष पाया जाना

परिशिष्ट "च" पर दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.15 को "Warm Clothing Advance" की ₹675/– वसूली योग्य शेष दर्शाई गई है। अतः इस राशि की यथासमय वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 देनदारी के रूप में ₹175790/–का शेष दर्शाया जाना

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के लेखाओं के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को देनदारियों के रूप में ₹175790/–शेष में थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में संलग्न है। अतः उक्त दर्शाई गई देनदारी का नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को देय ₹221301.36 के बारे में

परिशिष्ट "ज" में दिए गए विवरण के अनुसार दिनाँक 31.3.2015 को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के विभिन्न यूनिटों को ₹221301.36 देय दर्शाई गई है। अतः उक्त देनदारी का सम्बन्धित यूनिटों में मिलान करके इनका भुगतान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत करना सुनिश्चित किया जाए।

11 बैंक समाधान विवरणी में असमायोजित चैकों के बारे में

परिशिष्ट "झ–1" तथा "झ–2" में दिए गए विवरण के अनुसार अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.15 को हि0प्र0 स्टेट को–ओप्रेटिव बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में कुछ चैकों की राशियाँ असमायोजित पाई गई। तदानुसार ही संस्था द्वारा इन खातों से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी तैयार की गई। अतः इन असमायोजित चैंकों को समायोजित करके रोकड़ वही के अन्तशेषों तथा बैंक के खातों के अन्तशेष का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में अंकित अन्तिम बकाया राशि से अधिक ₹505683.32 के चैक जारी करके अन्तिम बकाया को माईनस में दर्शाया जाना

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जलपान गृह ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में दिनाँक 31.3.15 को बकाया राशि से अधिक ₹505683.32 के चैक विभिन्न–2 फर्मों के नाम से जारी किये, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। यद्यपि यह चैक 31.3.15 को जारी किये गये और यह चैक बैंक द्वारा आगामी महिनों में

पारित भी हो गये तदापि सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उतनी ही राशि के चैक जारी किये जाये जितनी राशि बैंक खातों के बकाया में है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता/Litigation से बचा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में तैनात कर्मचरियों को ₹440/– का अधिक भुगतान करना

सचिवालय जलपान गृह में तैनात कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन वृद्धियों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण गलत अथवा अधिक किया गया, जिसके फलस्वरूप इन कर्मचारियो को वेतन के रूप में ₹440/– का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

		देय भुगतान							
कर्मचारी का नाम	अवधि	मूल वेंतन+ ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता	योग	मूल वेतन+ ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता	कुल	अन्तर माह	अधिक भुगतान
श्री राजेन्द्र कुमार	1.9.14 से 31.7.14	9110+1900 =11010	11010	22020	9120+1900 =11020	11020	22040	20X11	220
श्री धनी राम	1.9.14 से 30.7.14	9110+1900 =11010	11010	22020	9120+1900 =11020	11020	22040	20X11	220
								कुल अधिक भुगतान	₹440

अतः उक्त अनियमितता की संस्था स्त्तर पर भी जाँच करके उक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिका में सेशोधित प्रविष्टियाँ की जाए तथा वेतन के रूप में किये अधिक भुगतान की गई ₹440/– की वसूली की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 कर्मचारियों के लिए वर्दी की आपूर्ति हेतु किए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐं

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये वर्दी आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से पत्र संख्या Per (Sa) –II-C (5)-1/2013 दिनाँक 16.12.2014 द्वारा अनुदान की ₹91000/– प्राप्त हुई। इस राशि के अन्तर्गत वाउचर संख्या 58, माह 3/15 द्वारा रोकड़ बही में निम्नलिखित फर्मों को भुगतान किया गया दर्शाया गयाः–

फर्म का नाम	बिल संख्या	राशि
मैसर्ज अमृतसर क्लाथ हाऊस शिमला	9464/22.3.15	45032
मैसर्ज मिलाप टैलरस, शिमला	339/22.3.15	27333

उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मैसर्ज मिलाप टैलरस शिमला को ₹27333/– का भुगतान चैक संख्या 521048 दिनाँक 31.3.15 द्वारा किया गया दर्शाया गया है परन्तु वास्तव में इस चैक को फर्म को नहीं दिया। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि चैक को इसलिए फर्म को नहीं दिया क्योंकि उक्त फर्म द्वारा सचिवालय जलपान ग्रह में तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्दी को सिल कर नहीं दिया गया तथा यह भी बताया गया कि उक्त चैक पूरी वर्दियों की सिलाई के उपरान्त फर्म को दिया जायेगा ताकि राशि प्राप्त होने पर वर्दियों की सिलाई में देरी न हो। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त फर्म से सिलाई का कार्य पूर्ण करवाकर जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिली उन्हें शीघ्र वर्दी जारी की जाए, क्योंकि इसमें लगभग 4 माह का समय पहले ही बीत चुका है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट "ग–2"** में सलंग्न अनुदान से किये खर्च के विवरण के अनुसार Uniform and Liverages शीर्ष के अन्तर्गत ₹87396/– खर्च किये गए जबकि इस शीर्ष के अन्तर्गत अनुदान की ₹91000/– प्राप्त हुई थी। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके बकाया ₹6396/– व्यय की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 दैनिक भोगी कर्मचारियों को प्रत्येक माह पूरे दिनों के भुगतान करने बारे

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में 8 दैनिक भोगी कर्मचारियों को तथा तीन कर्मचारियों को outsource के अन्तर्गत Corporate Care Co. द्वारा तैनात किया गया है। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उन कर्मचरियों को प्रत्येक माह में पूरे दिनों का भुगतान किया गया और मस्ट्रोल में माह में राजपत्रित अवकाश में यह प्रमाण पत्र देकर उपस्थिति दर्शायी गई है कि राजपत्रित अवकाशों के दिनों में भी Canteen की washing इत्यादि करवाई गई, जबकि इस प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कर्मचारियों को केवल माह के पूर्ण दिनों का भुगतान करने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि उस दिन किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया। अतः बिना पूर्ण ब्यौरा दिए तथा बिना किसी कार्यालय आदेश के तथा कौन–2 से दैनिकी भोगी कर्मचारियों द्वारा राजपत्रित अवकाश के दौरान कार्य करके उपस्थिति दर्ज की गई, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक निदेशक पर्यटन निगम शिमला द्वारा भी यह निर्देश जारी किये गये थे कि दैनिक भोगी कर्मचारियों को वर्ष में 240 दिनों से अधिक तैनात नहीं किया जाना चाहिए जबकि जलपान गृह में तैनात दैनिक भोगी कर्मचारियों को वर्ष में पूरे 365

दिनों के लिए तैनात किया गया है, जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फर्म द्वारा Outsource पर तैनात कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश में बुलाकर फर्म को भुगतान करना भी अनियमित प्रतीत होता है, जिस के फलस्वरूप फर्म को अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। अतः इस पूरे प्रकरण की संस्था स्तर पर भी जाँच की जाए तथा तदानुसार नियमों के अन्तर्गत वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में अनियमितताऐं

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह शिमला द्वारा माह 3/2015 के दौरान कर्मचारियों को किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान से सम्बन्धित वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ/अनियमितताऐं पाई गई, जिनका समाधान सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वा0सं0	रोगी का नाम एवं सम्बन्ध	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	चिकित्सालय का नाम	दवाईयों का नाम	राशि	पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ
65/3/15	श्री नितीश कुमार (पुत्र)	श्री सत्यपाल	हि0प्र0 आयुर्वैदिक चिकित्सालय शिमला–2	एकांगवीर रस	68	यह दवाई Madeical Attandance के अनुसार देय नहीं है
65/3/15		श्री गोपाल सिंह, सफाई स्टाफ	IGMC Shimla	Febrax Plus tab C.M. No. 15.03.06373 H.P. State SC Ltd	31	यह दवाई चिकित्सक द्वारा Prescribe नहीं की गई थी।
49/3/15	कमला	श्री सीता राम वैटर	आर्युवैदिक चिकित्सालय शिमला–2	अमस्था बलेह C.M. No. 38264 दिनांक 11.12.04 Medicos Shimla	150	यह दवाई Medical Attendance Rule के Schedule-III के अनुसार देय नहीं थी
44/3/15	कौशल्या देवी पत्नी	श्री साबनो राम वेटर	IGMC Shimla	B. Fasting Lipid profile LFT Creatinine Uric Acid Blodd	300	चिकित्सक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था
44/3/15	स्वयं	देंयानन्द कैप्टन	IGMC Shimla	Misc. Medicine	540	चिकित्सा बिल मे संलग्न फोटोस्टेट Prescription Slip में मरीज का नाम नहीं दर्शाया गया था।
14/27.3.15	Smt. Rajni	Sh. Kashmir	H.P. Ayurvedic	Ection L–S RS DSR Cap	46 64	

		Singh Sr. P.Man	Hospital Shimla	Amalki Tab Tab Lobace-50-H	149 52.50	
				C.M. No. 14711-00236 dt. 11.11.14 of Madho Ram & Sons		
				CEP Hagarine Tab	152	
				Herbolax cap	90.80	
				Ore soft-600	300	
				Anxi set Tab.	110	
				Lotac-50-H	1100	
				R.B. tone syp CM. No. 11/11-00539 dt. 22.11.14 of Madho Ram And Sons Chhota Shimla	182	ये दवाईयाँ Medical rule में दिये गये Schudle-II के अनुसार देव नहीं थी।
					1356.30	
44 / 27.3.15	Smt. Champa	Sh. Gopal Singh S.S	-do-	Supracal-K2	420	
				Cab. Anaproct 24	222	-do-
				Notopyles Cap	330	
					972	
-do-	Baby Riya	-do	IGMC Shimla	Not mentioned in cash memo No. 14/11-00334 dt. 18.11.14 of Chauhan Madicos Shimla	222.30	इस Cash memo में न तो Patient का नाम है और न ही दवाईयों का Cash memo में सब miss print है।

17 हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में खाद्य पदार्थों के विक्रय मूल्य के पुनः निर्धारण के बारे में

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह को सचिवालय स्टॉफ की सुविधा के लिए No Profit No Loss (न लाभ न हानि) के आधार पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा तैनात

स्टॉक द्वारा चलाया जा रहा है तथा कैंटिन में तैनात स्टॉफ के वेतन, भत्ते, मैडिकल बिलों इत्यादि का वहन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुदान द्वारा किया जा रहा है। जलपान गृह में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य का निर्धारण सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/14 के **परिशिष्ट "ण"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार यह पाया गया कि सचिव (सामान्य विभाग) हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनाँक 27.2.13 को हुई बैठक में खाद्य पदार्थों की कीमतें निर्धारित कीग ई। अतः हिमाचल प्रदेश सचिवालय प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि कैटिन में बिकने वाले खाद्य पदार्थे की कीमत का पुनः निर्धारण No Profit No Loss (न लाभ न हानि) के आधार पर किया जाए ताकि भविष्य में वित्तीय नुकसान से बचा जा सके।

18 स्टोर एवं स्टॉक के लेखों का Hard Copy का रख रखाव न करना तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹670.50 का अधिक भुगतान करना

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिवालय जलपान गृह द्वारा दिनाँक 6.12.13 से सामग्री की प्राप्ति एवं जारी से सम्बन्धित प्रविष्टियों एवं लेखों का रख रखाव Computer में आरम्भ किया गया था और इससे सम्बन्धित Mannual अभिलेखों का रख रखाव बन्द कर दिया गया। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सामग्री के स्टॉक एवं स्टोर की Hard copy का रख रखाव नहीं किया जा रहा है और न ही इस अभिलेख से सम्बन्धित कोई अन्य अभिलेख Hard Disk में रखा जा रहा है। अतः यदि भविष्य में इस Programme या Computer में कोई virus आ जाता है अथवा Computer खराब हो जाता है अथवा Programme washout हो जाता है, तो इससे सम्बन्धित किसी अन्य अभिलेख का संरक्षण न होने के कारण यह सुनिश्चित करना कठिन हो जायेगा कि स्टॉक एवं स्टोर से कितनी सामग्री क्रय की गई, कितनी सामग्री जारी की गई और कितनी सामग्री बकाया में है। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/14 के पैरा 15 में भी आपत्ति दर्ज की गई और सुझाव दिया गया था कि सामग्री की प्राप्ति एवं जारी करने से सम्बन्धित स्टॉक एवं स्टोर अभिलेख का Hard Copy में भी रख–रखाव किया जाये और हर माह के अन्त में इसका मिलान सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्टॉक में किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसका सत्यापन प्रबन्धक, सचिवालय जलपान गृह से करवाया जाये। इसके साथ–2 माह तथा वर्ष के अन्त में प्रबन्धक द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्टॉक में बकाया पड़ी सामग्री का सत्यापन स्टॉक रजिस्टर/अभिलेख से करना सुनिश्चित किया जाए। अतः इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) इसके अतिरिक्त वाउचर संख्या 68, माह 3/15 के अन्तर्गत विभिन्न–2 आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के एवज में ₹873272/– का भुगतान किया। उक्त वाउचर में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि मैसर्ज कृष्णा डायरी शिमला के बिलों में भुगतान की गई ₹36876/– से सम्बन्धित संलग्न बिल संख्या 2342 दिनाँक 13.3.15 में सामग्री की आपूर्ति निम्न दर पर की गई।

1	पनीर 7 कि0ग्रा0 ₹225	1575
2	अमूल मक्खन (Amul Butter) 15 कि0ग्रा0 @325.30	5550
		7125
	+5% vat	79
		₹7204

उक्त बिल में 15 कि0ग्रा0 Amul Butter की ₹325.30 की दर से कुल ₹4879.50 देय बनती है परन्तु फर्म को ₹5550/– का भुगतान किया गया। इस प्रकार इस बिल में ₹670.50 +5**%** वैट का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः–** लेखाओं का रख–रखाव अंकेक्षण द्वारा दिये सुझावों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पंजीकृत पृष्ठांकन संख्याःफिन (एल0ए0)सी(15)(14)92/85 खण्ड–11–6143–6146,दिनांक 19.10.15 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्धक, सचिवालय जलपान गृह, शिमला–171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित शिमला–1
3. उप सचिव (एस0ए0डी0)हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
4. श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा..............

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.